न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 282 सन 2018

अनवान :–

1. बेगराज पुत्र सुखराम जाति ब्राहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गोरखाराम पुत्र हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र सुखराम जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
3. मनोहरी देवी पत्नी सुखराम जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
4. मैनादेवी पुत्री सुखराम जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
5. गुडडी पुत्री सुखराम जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
6. महावीर पुत्र स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. प्रहलाद पुत्र स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
8. बृजलाल पुत्र स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
9. दुलीचन्द पुत्र स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
10. सहदेव पुत्र स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
11. सिलोचना पुत्री स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 2/3/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 73/358 की कुल 8.334हैक व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 308/315 कीकुल 28.222हैक व खाता संख्या 309/316 की कुल 2.264हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व मृतक बादो के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हनुमान मनीराम पि0 रामुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हनुमान मनीराम पि0 रामुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो/पौत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं मृतक बादो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

रामुराम के पुत्र मनीराम के कोई औलाद नही थी मनीराम एवं उसकी पत्नी बादु पत्नी मनीराम लावल्द फोत हो चुके है जिसके जायज एवं प्रथम श्रेणी के वारिसान मनीराम का भाई एवं उसके वारिसान व गंगादेवी है जो मनीराम के हक हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है तथा गंगादेवी का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 है इसप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की माता व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 वादी की बुआ मृतक गंगादेवी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की बादोदेवी पत्नी मनीराम व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता हनुमान मनीराम पि0 रामुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है तथा रामुराम का पुत्र मनीराम एव उसकी पत्नी लावल्द फोत हो चुके है जिनके प्रथम श्रेणी के वारिसान उसका भाई एवं उसके पुत्र/पुत्रीया है जिसमें से पुत्री गंगादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 है इसप्रकार मनीराम की पत्नी बादो के नाम से दर्ज भूमि व अन्य पैतृक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों /उनके पुत्रों व पुत्र के पक्ष में कि जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 73/358 की कुल 8.334हैक व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 308/315 कीकुल 28.222हैक व खाता संख्या 309/316 की कुल 2.264हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व मृतक बादो के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हनुमान मनीराम पि0 रामुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हनुमान मनीराम पि0 रामुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो/पौत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं मृतक बादो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

रामुराम के पुत्र मनीराम के कोई औलाद नही थी मनीराम एवं उसकी पत्नी बादु पत्नी मनीराम लावल्द फोत हो चुके है जिसके जायज एवं प्रथम श्रेणी के वारिसान मनीराम का भाई एवं उसके वारिसान व गंगादेवी है जो मनीराम के हक हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है तथा गंगादेवी का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 है इसप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की माता व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 वादी की बुआ मृतक गंगादेवी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 73/358 की कुल 8.334हैक व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 308/315 कीकुल 28.222हैक व खाता संख्या 309/316 की कुल 2.264हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व मृतक बादो के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि हनुमान मनीराम पुत्र रामुरमा के नाम से दर्ज थी हनुमान पुत्र रामुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हुई है तथा मनीराम पुत्र रामुराम के देहान्त होने पर उसके हिस्से की भूमि पत्नी बादोदेवी के नाम से दर्ज हुई है मनीराम एवं उसकी पत्नी बादोदवी लावल्द फोत होने कारण बादोदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिसान मनीराम का भाई एवं उसके पुत्र/पुत्रीया हुए अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 62/73 की कुल 8.334हैक व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 323/315 कीकुल 28.222हैक व खाता संख्या 326/316 की कुल 2.264हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व मृतक बादो के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 2/3/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बेगराज पुत्र सुखराम जाति ब्राहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गोरखाराम पुत्र हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र सुखराम जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
3. मनोहरी देवी पत्नी सुखराम जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
4. मैनादेवी पुत्री सुखराम जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
5. गुडडी पुत्री सुखराम जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
6. महावीर पुत्र स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. प्रहलाद पुत्र स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
8. बृजलाल पुत्र स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
9. दुलीचन्द पुत्र स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
10. सहदेव पुत्र स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
11. सिलोचना पुत्री स्व गंगा पुत्री हनुमान जाति बाहम्ण निवासी सिरंगसर तहसील नोहर हाल निवासी चक 18 एसपीओ पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 282 सन 2020 निर्णय दिनांक– 2/3/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 62/73 की कुल 8.334हैक व रोही मौजा सिरंगसर के खाता संख्या 323/315 कीकुल 28.222हैक व खाता संख्या 326/316 की कुल 2.264हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व मृतक बादो के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/3/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)